

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 14/2024 जीसीएमएस : 2024/151 कुलदीप सिंह आदि बनाम चन्दो देवी(मृतक) अमरसिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
04.03.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1/4 की तलबी जरिए रजि. एडी नोटिस जारी की गयी थी। एडी बाद तामील प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 1/4 अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं. 1/4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्त. अधि. प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक खातेदार के द्वारा अन्य खातेदार की खातेदारी भूमि में से ही रास्ता की मांग की जा सकती है। गैर खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किये जाने के प्रावधान धारा 251ए में विद्यमान नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	




शकुन्तीला

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

